

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

(शुद्धिपत्र)

सं०सं०-18(प्रो०को०)/विविध-01-06/2017-210(प्रो०को०) स्वा०, पटना, दिनांक- 8.8.18

डा० चन्द्रेश्वर चौधरी, सेवा निवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुगौली, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण को विभागीय अधिसूचना संख्या- 144(3) दिनांक- 03.02.2005 द्वारा प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान 09.08.1999 के पूर्व से ही दिनांक- 01.01.1996 के प्रभाव से प्राप्त है। डा० चौधरी दिनांक- 25.08.1999 से 03.09.2003 तक एवं 28.08.2004 से 05.03.2006 तक निलंबित रहे हैं तथा इनकी सेवा की दिनांक- 04.09.2003 से 03.12.2003 तक एवं दिनांक- 06.03.2006 से 04.07.2006 तक की अवधि अविनियमित है। फलस्वरूप द्वितीय ए०सी०पी० के लाभ हेतु 24 वर्षों की अर्हक सेवा पूरी नहीं होती है। इस कारण से उन्हें अधिसूचना संख्या- 191(प्रो०को०) दिनांक- 21.11.2017 द्वारा स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय ए०सी०पी० का लाभ अनुमान्य नहीं है।

अतः उक्त अधिसूचना के क्रमांक- 74 की कंडिका 6 एवं 7 में अंकित प्रथम एवं द्वितीय ए०सी०पी० लाभ की स्वीकृति को विलोपित किया जाता है।

2. शेष यथावत रहेंगे।

3. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अनिल कुमार)

ज्ञापांक-18(प्रो०को०)/विविध-01-06/2017-210(प्रो०को०) स्वा०, पटना, दिनांक- 8.8.18

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को उनके पत्रांक- जी०ई-02-C-VIII-1-1785 दिनांक- 27.03.2018 के प्रसंग में तथा वित्त(वे०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ सिविल सर्जन पूर्वी चम्पारण/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी- 2, 3, 9 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- डा० चन्द्रेश्वर चौधरी, सेवा निवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, पता- उषा भवन आसगोला, खजुरबनी, रमना-02, जिला- मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिपिपि- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।  
दिनांक